



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 324) पटना, शुक्रवार, 10 अप्रील 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधीसूचना
8 अप्रील 2026

सं० 3/एम0-04/2026-सा0प्र0/6307—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम-9 में उपनियम-(2) के बाद उपनियम-(3) का अन्तःस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-9 में उपनियम-(2) के बाद उपनियम-(3) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है—

“(3) Social Media Platforms एवं Instant Messaging Applications के अनुप्रयोग— सरकारी सेवक, स्वयं या छद्मनाम से, विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना,

- (i) उन्हें उपलब्ध कराये गये सरकारी ई-मेल या मोबाइल नंबर का उपयोग व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने हेतु नहीं करेंगे।
- (ii) सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे उनके पद की गरिमा कम हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे। इसमें सम्मानजनक भाषा बनाये रखने, अश्लीलता या भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने से बचने और साझा की गयी किसी भी सामग्री में सत्यता व तथ्यात्मकता सुनिश्चित करना शामिल है।
- (iii) ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बचेंगे जिससे व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच मतभेद हो। सरकार की उपलब्धियों को किसी के व्यक्तिगत प्रयास अथवा व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- (iv) गुमनाम या छद्मनाम वाले सोशल मीडिया खातों का संचालन नहीं करेंगे।
- (v) सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों, कानूनी पेशेवरों, मीडिया संस्थानों या राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन अथवा आलोचना नहीं करेंगे।

- (vi) सरकारी नीतियों/योजनाओं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि के आदेशों/निर्णयों पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे।
- (vii) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वर्गीकृत/संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे।
- (viii) अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या स्वयं, मित्रों, रिश्तेदारों या अन्य परिचितों के निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे।
- (ix) उनके द्वारा पारित आदेश के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे।
- (x) कार्यस्थल अथवा कार्यस्थल पर आयोजित किसी बैठक का वीडियो/रील्स आदि नहीं बनायेंगे अथवा Social Media Platform पर कार्यस्थल का Live Telecast नहीं करेंगे। कार्यस्थल से संबंधित किसी शिकायतकर्ता से संवाद का Live Telecast अथवा Video Upload नहीं करेंगे।
- (xi) किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाईव प्रसारण, चैट, वेबीनार इत्यादि में आमंत्रित किये जाने पर भाग नहीं लेंगे एवं सरकारी/व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से धनार्जन/आय प्राप्त नहीं करेंगे।
- (xii) गोपनीय सरकारी दस्तावेज/हस्ताक्षरित रिपोर्ट अथवा प्रार्थना पत्र को व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे।
- (xiii) किसी यौन शोषित पीड़िता या जुबेनाईल ऑफेंडर्स की पहचान अथवा नाम या अन्य विवरण सरकारी/व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं करेंगे और जाति/धर्म के आधार पर किसी की गरिमा को प्रभावित करने वाला या उसकी गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- (xiv) सरकारी/व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वरिष्ठ अधिकारी/सहकर्मी/कनीय सहयोगी के विरुद्ध विभागीय गरिमा को प्रभावित करने वाला आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- (xv) किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को सरकारी/व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डीपी/प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनायेंगे एवं सरकारी/व्यक्तिगत सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एकाउंट के डीपी/पिक्चर पर किसी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक नहीं लगायेंगे। सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति को ट्रोल अथवा बुली (Bullying) नहीं करेंगे। परन्तु, यदि किसी सरकारी सेवक को सरकार अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया हो, तब ऐसा किया जाना उक्त प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

8 अप्रैल 2026

सं० 3/एम०-04/2026-6308 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।